

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2016/चैत्र 12, 1938

No. 239]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2016/ CHAITRA 12, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2016

सं. 23 /2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 390(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 में आगे और संशोधन किए जाने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम सेनवैट क्रेडिट (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 कहलाएंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 में,-

(क) नियम 6 में, उप-नियम (3) में, खण्ड (i) हेतु, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित होगा, अर्थात्:-

“(i) संबंधित अदायगी शुरूआती अवधि में उपलब्ध इनपुट और इनपुट सेवाओं के क्रेडिट तथा उस अवधि के दौरान ली गई इनपुट और आऊटपुट सेवाओं के क्रेडिट के अधिकतम कुल जोड़ के अधीन छूट-प्राप्त सामान के मूल्य के छः प्रतिशत और छूट-प्राप्त सेवाओं के मूल्य के सात प्रतिशत के बराबर धनराशि की अदाएगी; अथवा”;

(ख) नियम 7ख में, उप-नियम (1) में “केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अनुसार जारी मांग-पत्रों” शब्दों और आंकड़ों के लिए “नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दस्तावेजों,” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 267/17/2016-सी एक्स-8]

शंकर प्रसाद शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 600(अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 द्वारा अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित किये गये थे तथा इसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 244(अ), दिनांक 1 मार्च, 2016 द्वारा अधिसूचना सं. 13/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) दिनांक 1 मार्च, 2016 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2016

No. 23 /2016- Central Excise (N.T.)

G.S.R. 390(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely-

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Fourth Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004,-

(a) in rule 6, in sub-rule (3) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :-

“(i) pay an amount equal to six *per cent.* of value of the exempted goods and seven *per cent.* of value of the exempted services subject to a maximum of the sum total of opening balance of the credit of input and input services available at the beginning of the period to which the payment relates and the credit of input and input services taken during that period; or” ;

(b) in rule 7B, in sub-rule (1) for the words and figures “invoices, issued in terms of the provisions of the Central Excise Rules, 2002,” the words and figure “documents specified under rule 9,” shall be substituted.

[F. No. 267/17/2016-CX.8]

SHANKAR PRASAD SARMA, Under Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification No. 23/2004 - Central Excise (N.T.) dated the 10th September, 2004 *vide* number G.S.R. 600(E) dated the 10th September, 2004 and last amended *vide* notification No. 13/2016-Central Excise (N.T.) dated 1st March, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 244 (E) , dated the 1st March, 2016.